न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्याः 19/2023

अपीलार्थीगण

1. लता कुमारी पुत्री स्वर्गीय नारायणलालजी, जाति– कुम्हार (प्रजापति), निवासी– सवली, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही
2. विजय कुमार पुत्र स्वर्गीय नारायणलालजी, जाति– कुम्हार (प्रजापति), निवासी– सवली, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही, नाबालिग जरिये संरक्षक चाचा बाबुलाल पुत्र फताजी, जाति– कुम्हार (प्रजापति), निवासी–सवली, तह. शिवगंज

बनाम

प्रत्यर्थीगण

1. श्रीमती हेमादेवी पत्नि स्वर्गीय नारायणलालजी, जाति– कुम्हार (प्रजापति), निवासी– सवली, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही
2. श्रीमती गीतादेवी उर्फ गंगादेवी पत्नि भैराजी, जाति– कुम्हार, निवासी– लखमावा, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, शिवगंज, जिला– सिरोही

''अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956''

उपस्थितिः

(1) अधिवक्ता श्री मोहनसिंह देवड़ा, अपीलार्थीगण की ओर से
(2) पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी संख्या–3 की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 13 मई, 2024**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थीगण की ओर से यह अपील उप तहसीलदार, कैलाशनगर द्वारा ग्राम सवली, पटवार हल्का नारादरा के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1067 दिनांक 12.6.2020 को निरस्त कराने हेतु प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु धारा 5 भारतीय समयावधि अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध अपील के साथ साथ अलग से प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को सम्मन/नोटिस जारी किये गये। अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी संख्या–3 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये। जबकि प्रकरण में प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 को सम्मन की तामिल होने के बावजूद उपस्थित नही हुये। अतः प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

(3) बहस सुनी गई। अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपीलार्थीगण की अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या–1 (एक) व अन्य के खातेदारी व कब्जे काश्त भूमि ग्राम सवली, पटवार हल्का नारादरा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र माण्डानी, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही में आई हुई है, जिसके नये खाता संख्या 225 पुराने खाता संख्या 188 खसरा संख्या 239 रकबा 7.4057 हेक्टेयर, खसरा संख्या 240 रकबा 0.1052 हेक्टेयर, खसरा संख्या 242 रकबा 0.0728 हेक्टेयर, खसरा संख्या 243 रकबा 0.0647 हेक्टेयर, खसरा संख्या 244 रकबा 0.0243 हेक्टेयर, खसरा संख्या 245 रकबा 0.0405 हेक्टेयर व खसरा संख्या 246 रकबा 0.1295 हेक्टेयर कुल किता 7 रकबा 7.8427 हेक्टेयर तथा खाता संख्या न... पुराने खाता संख्या 189 खसरा संख्या

......पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.06.03 17:13:30 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर *सिरोही* सत्यमेव जयते

173 रकबा 4.7429 हेक्टेयर व खसरा संख्या 413 रकबा 2.2177 हेक्टेयर कुल किता 2 रकबा 6.9606 हेक्टेयर है। यह कि अपीलार्थीगण के पिता नारायणलालजी पुत्र फताजी व अन्य खातेदारों के नाम से उक्त वर्णित कृषि भूमि ग्राम सवली, पटवार हल्का नारादरा में आई हुई है। स्वर्गीय नारायणलाल पुत्र फताजी, जाति– कुम्हार, निवासी– सवली के पेढी पत्रक अनुसार नारायणलाल पुत्र फताजी के पुत्री लता कुमारी, पुत्र विजय कुमार है व नारायणलाल पुत्र फताजी कुम्हार का अपने जीवनकाल में उनकी पूर्व की पत्नि गीतादेवी उर्फ गंगादेवी से सामाजिक रिती रिवाज के अनुसार तलाक हो गया था एवं तलाक होने के बाद गीतादेवी उर्फ गंगादेवी ने ग्राम लखमावा निवासी भेराजी कुम्हार के साथ नाता विवाह कर लिया तथा नारायणलाल जी पुत्र फताजी कुम्हार ने हेमादेवी (प्रत्यर्थी संख्या–1) से नाता विवाह कर किया था तथा नारायणलाल पुत्र फताजी कुम्हार के अपनी पत्नि हेमादेवी से वैवाहिक संबंधों से एक पुत्र विजय कुमार (अपीलार्थी संख्या–2) का जन्म हुआ। स्वर्गीय नारायणलाल जी पुत्र फताजी कुम्हार की मृत्यु दिनांक 13.11.2018 को हो गई है। इस प्रकार, स्वर्गीय नारायणलाल जी पुत्र फताजी कुम्हार के विधिक वारिसान अपीलार्थीगण लता कुमारी (पुत्री), विजय कुमार (पुत्र) एवं प्रत्यर्थी हेमा देवी (पत्नि) ही है। यह कि स्वर्गीय नारायणलाल जी पुत्र फताजी कुम्हार की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों का नामान्तरकरण अपीलार्थी लताकुमारी (पुत्री), विजय कुमार (वुत्र) एवं हेमादेवी (पत्नि) के नाम से भरा जाना चाहिये था, लेकिन पटवारी हल्का, नारादरा ने स्वर्गीय नारायणलाल जी पुत्र फताजी कुम्हार के विधिक वारिसानों की समुचित जांच किये बिना ही लताकुमारी (पुत्री), विजय कुमार (पुत्र) एवं हेमादेवी (पत्नि) व गीतादेवी (पत्नि) के नाम से नामान्तरकरण दायर कर लिया, जिसे उप तहसीलदार, कैलाशनगर द्वारा बिना जांच किये व सुनवाई का अवसर दिये बिना ही स्वीकृत कर दिया, जो विधि अनुरुप नही है। यह कि खातेदार स्वर्गीय नारायणलाल जी पुत्र फताजी कुम्हार की मृत्यु के बाद उनके पेढी पत्रक अनुसार समुचित जांच कर ही नामान्तरकरण दायर करना चाहिये था, लेकिन पटवारी हल्का एवं अधीनस्थ अधिकारियों ने स्वर्गीय नारायणलाल जी पुत्र फताजी कुम्हार के उत्तराधिकार का नामान्तरकरण दायर करने व स्वीकृत करने से पूर्व कोई जांच नही की गई, जबकि स्वर्गीय नारायणलाल जी पुत्र फताजी कुम्हार का अपने जीवनकाल में उनकी पूर्व पत्नि गीतादेवी उर्फ गंगादेवी से सामाजिक रिती रिवाज अनुसार तलाक हो चुका था व गीतादेवी उर्फ गंगादेवी द्वारा श्री भेराराम कुम्हार, निवासी– लखमावा से नाता विवाह करने के बाद ग्राम लखमावा में अपने पति भैराराम कुम्हार के साथ ही निवास कर ही है। यह कि अपीलार्थीगण को प्रश्नगत नामान्तरकरण के संबंध में दिनांक 12.7.2023 को जानकारी होने के अन्दर मियाद 30 दिन में अपील प्रस्तुत की है जिसमें अपीलार्थीगण की कोई लापरवाही या बदनियति नही रही है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कन्डोन करते हुए अपीलार्थीगण की अपील को स्वीकार उप तहसीलदार, कैलाशनगर द्वारा ग्राम सवली, पटवार हल्का नारादरा के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1067 दिनांक 12.6.2020 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार, शिवगंज को अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या–1 (हेमादेवी) के पक्ष में नामान्तरकरण दायर करवाकर निर्णित करने हेतु आदेशित किया जावे। जबकि पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि खातेदार नारायणलाल जी पुत्र फताजी कुम्हार, निवासी– सवली की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों का नामान्तरकरण संख्या 1067 पटवारी हल्का, नारादरा द्वारा दायर किया गया, जिसे उप तहसीलदार, कैलाशनगर द्वारा दिनांक 12.6.2020 को स्वीकृत किया गया है।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम सवली, पटवार हल्का नारादरा, तहसील– शिवगंज के खाता [illegible] 225 खाता संख्या पुराना 188 खसरा

.....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय * सिरोही * राजस्थान
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.06.03 17:13:30 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 239 रकबा 7.4057 हेक्टेयर, खसरा संख्या 240 रकबा 0.1052 हेक्टेयर, खसरा संख्या 242 रकबा 0.0728 हेक्टेयर, खसरा संख्या 243 रकबा 0.0647 हेक्टेयर, खसरा संख्या 244 रकबा 0.0243 हेक्टेयर, खसरा संख्या 245 रकबा 0.0405 हेक्टेयर व खसरा संख्या 246 रकबा 0.1295 हेक्टेयर कुल किता 7 रकबा 7.8427 हेक्टेयर तथा खाता संख्या नया 226 पुराना खाता संख्या पुराना 189 खसरा संख्या 173 रकबा 4.7429 हेक्टेयर व खसरा संख्या 413 रकबा 2.2177 हेक्टेयर कुल किता 2 रकबा 6.9606 हेक्टेयर भूमि के संयुक्त खातेदार श्री नारायण पुत्र फताजी, जाति— कुम्हार, निवासी— सवली की मृत्यु के बाद मृतक खातेदार नारायणलाल जी पुत्र फताजी कुम्हार, निवासी— सवली के हक हिस्से की कृषि भूमि का हल्का पटवारी, नारादरा द्वारा अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में उत्तराधिकार का नामान्तरकरण संख्या 1067 दायर किया गया, जिसे उप तहसीलदार, कैलाशनगर द्वारा दिनांक 12.6.2020 को स्वीकृत किया गया है। उप तहसीलदार, कैलाशनगर द्वारा स्वीकृत उक्त नामान्तरकरण संख्या 1067 दिनांक 12.6.2020 के विरुद्ध अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 07.8.2023 को प्रस्तुत की गई है, जो विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा उक्त नामान्तरकरण संख्या 1067 दिनांक 12.6.2020 के विरुद्ध यह अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र भी अपील के साथ साथ प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध अलग से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अपीलार्थीगण ने उप तहसीलदार, कैलाशनगर द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1067 दिनांक 12.6.2020 के संबंध में सर्वप्रथम दिनांक 12.7.2023 को नामान्तरकरण की नकल लेने पर जानकारी होना एवं जानकारी तिथि से अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत करना अंकित किया है। अपीलार्थीगण ने धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के संबंध में अपीलार्थी लताकुमारी का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है, जिसके विपरित तथ्यों का कोई काउन्टर शपथ पत्र प्रस्तुत नही हुआ है एवं न ही धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत हुआ। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थीगण द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भावनापूर्ण होना पाया जाने से अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन किया जाकर इस अपील प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित किया जा रहा है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त वर्णित कृषि भूमि के संयुक्त खातेदार नारायण पुत्र फताजी, जाति— कुम्हार, निवासी— सवली की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का नामान्तरकरण संख्या 1067 हल्का पटवारी, नारादरा द्वारा अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में दायर किया गया, जिसे उप तहसीलदार, कैलाशनगर द्वारा दिनांक 12.6.2020 को स्वीकृत किया गया है। जबकि अपीलार्थीगण की ओर से अपील में अंकित तथ्यों के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज नरदावा (विवाह विच्छेद विलेख) दिनांक 10.12.2003 (जो रुपये 100/— (अक्षरे रुपये सौ) के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर गंगादेवी पुत्री प्रहलादजी, जाति— प्रजापत (कुम्हार), निवासी— मनादर द्वारा नारायणलाल पुत्र फताजी प्रजापत (कुम्हार), निवासी—सवली के पक्ष में निष्पादित किया गया है) में अंकित किया हुआ है कि गंगादेवी पुत्री प्रहलादजी, जाति— प्रजापत (कुम्हार), निवासी— मनादर एवं नारायणलाल पुत्र फताजी प्रजापत (कुम्हार) के मध्य जाति रिति रिवाज से आपस में नरदावा (तलाक) हो गया है। उक्त नरदावा (विवाह विच्छेद विलेख) की छाया प्रति न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है। इस प्रकार, उक्त नरदावा (विवाह विच्छेद विलेख) दिनांक 10.12.2003 के अनुसार गंगादेवी पुत्री प्रहलाद जी कुम्हार एवं नारायणलाल पुत्र फताजी कुम्हार, निवासी— सवली के मध्य जाति रिति रिवाज अनुसार नरदावा (तलाक) हो जाने

......पेज चार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.06.03 17:13:30 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही *
सत्यमेव जयते

के कारण मृतक खातेदार नारायण पुत्र फताजी, जाति– कुम्हार, निवासी– सवली की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों का नामान्तरकरण अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी संख्या–1 (हेमादेवी) के पक्ष में ही दायर कर स्वीकृत करना चाहिये था, लेकिन मृतक खातेदार नारायण पुत्र फताजी, जाति– कुम्हार, निवासी– सवली की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों का नामान्तरकरण अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी संख्या–1 व 2 के पक्ष में दायर कर स्वीकृत किया गया है, जो विधि अनुरुप नही है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत अपील अपीलार्थीगण अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध प्रत्यर्थीगण सारवान होने व साबित होने से स्वीकार की जाकर उप तहसीलदार, कैलाशनगर द्वारा ग्राम सवली, पटवार हल्का नारादरा के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1067 दिनांक 12.6.2020 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ तहसीलदार, शिवगंज को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मृतक खातेदार नारायणलाल पुत्र फताजी, जाति– कुम्हार, निवासी– सवली, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही के विधिक वारिसानों की जांच करके पुनः विधि अनुरुप नये सर नामान्तरकरण दायर करवाकर निर्णित करने की कार्यवाही करे। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 13 मई, 2024 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

अतिरिक्त जिला कलक्टर
न्यायालय * सिरोही *
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.06.03 17:13:30 IST
Reason: SelfAttested